# साइबर बुलीइंग पीड़ितों की मदद करेगी एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी, टीमें बनाई

**प्रदेश में हर साल साइबर धोखाधड़ी के लगभग 77,769 मामले दर्ज**

जयपुर| एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज डिजिटल अरेस्ट यानी साइबर बुलीइंग पीड़ितों की मदद करेगी। हाल के दिनों में यह समस्या तेजी से बढ़ी है। इसके मद्देनजर ऑनलाइन खतरों निपटने के लिए से जागरूकता की भी जरूरत बताई गई है।

कंपनी के संस्थापक अक्षत खेतान का कहना है कि डिजिटल के दौर में साइबर बुलीइंग, साइबर अपराध और उत्पीड़न के खतरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सरकार कानूनी ढांचा तैयार कर लोगों को जागरूक करे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि इंटरनेट अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित बना रहे। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राजस्थान में हर साल साइबर धोखाधड़ी के लगभग 77,769 मामले दर्ज किए जाते हैं। इसको देखते हुए एयूसीएल पीड़ितों को हालात से उबरने में मदद करने के लिए युवा सलाहकारों की सेवा उपलब्ध कराएगी।

साइबर अपराध पुलिस टीम की मदद करेगी। कानूनी मार्गदर्शन और सहायता देगी। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में जागरूकता के लिए जनसंपर्क कार्यक्रमों एवं सामाजिक अभियान चलाएगी। सेमिनार, सम्मेलन, पैनल चर्चा, केस स्टडी विश्लेषण, रोड-शो, वॉकथॉन, कैंडल-लाइट मार्च, स्किट, कला प्रदर्शनी, वाद-विवाद जैसी गतिविधियां आयोजित करेगी।